P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान में मध्याह्न भोजन योजना की भूमिका (जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी के विशेष सन्दर्भ में)

हेमलता वर्मा
अतिथि शिक्षक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर
उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व निरक्षरता का स्तर अधिक था, जिसके कारण रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ विद्यमान थी। शिक्षा का स्तर कम होने के साथ–साथ महिलाओं का शैक्षिक स्तर अपेक्षाकृत कम था। परिवार में पुत्र के जन्म को उत्सव के रूप में देखा जाता था और कन्या के जन्म को अभिशाप। समय के साथ–साथ शिक्षा का स्तर बढ़ा और स्वतंत्रता के पश्चात् पूरे देश में शिक्षा का प्रचार–प्रसार हुआ। स्कूल, कॉलेजों की स्थापना हुयी। इसके बावजूद भी महिलाओं का अपेक्षित शैक्षिक स्तर नहीं बढ़ पाया। बेटियों को पहले तो विद्यालय कम भेजते थे और विद्यालय भेजने के बावजूद वे घरेलू कार्य के कारण बीच में विद्यालय जाना छोड़ देती थी। जागरूकता की कमी और घरेलू कार्य की अधिकता के कारण लड़कियों को शैक्षिक अवसर कम मिलते थे। जिसके कई अन्य कारण है और रहे है। बेटी पढ़ाओ से पूर्व की संकल्पना यह है कि बेटी को बचाया जाये अर्थात् भ्रूण हत्या रोकी जाये ताकि कन्या का जन्म हो सके। और बेटियों को उचित पालन–पोषण के पश्चात् विद्यालय भेजा जाये। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना की घोषणा की। तब से पूरे देश में इस योजना का सफल संचालन हो रहा है। और समाज का कन्या शिशु के प्रति सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान को तेज किया जा रहा है। जैसे – आगंनबाड़ी में विद्यालय पूर्व बच्चों को रखा जाता है, जिसमें उन्हें बुनियादी शिक्षा के साथ पोषण भी दिया जाता है। इस योजना का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण भी है। प्रस्तुत शोध पत्र में "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ"अभियान में मध्याह्न भोजन योजना की भूमिका का विशेष विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत तुलनात्मक अध्ययन के लिये अध्ययन क्षेत्र से आँकड़ों के संग्रह हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। अध्ययन के लिये जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी से न्यादर्श के लिए 120 छात्राओं एवं 120 अभिभावकों का यादृच्छिक विधि को चयनित किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, कि मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा बालिकाओं का अपेक्षित नामांकन भी बढ़ा। सर्वशिक्षा अभियान, सबके लिये शिक्षा तथा मध्याह्न भोजन योजना और शिक्षा का अधिकार के परिणामस्वरूप बुनियादी शिक्षा का अपेक्षित सार्वभौमिकरण हुआ।

मुख्य शब्द : बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ, मध्याह्न भोजन योजना, प्राथमिक शिक्षा, अभिप्रेरणा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण।

प्रस्तावना

एक ओर जहाँ सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य सभी को साक्षर और शिक्षित बनाना है। वहीं दूसरी ओर मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने का मुख्य लक्ष्य विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति नियमित करना, छात्र–छात्राओं का नामांकन बढ़ाना व ड्रॉप आउट रेट को घटाना है। छात्र–छात्राओं के स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के दृष्टिकोण से यह योजना अच्छी है। भारत में सर्वप्रथम 1925 में मद्रास कारपोरेशन द्वारा स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात 1930 में पांडिचेरी, 1941 में केरल, 1942 में बम्बई, 1946 में बैंगलोर में मध्याह्न भोजन योजना अलग–अलग रूपों में प्रारम्भ हुई। 1953 में उत्तरप्रदेश, 1956 में तमिलनाडु राज्य में भी ऐसी योजना प्रारम्भ की गई। 1960 में कई राज्यों में ऐसी योजना बड़े पैमाने पर लागू की गई। भारत सरकार के द्वारा 1974 में राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत बच्चों को

सर्वोपरि सम्पत्ति मानते हुए उनके सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया। इसी के दृष्टिगत वर्ष 1982 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.जी. रामचन्द्रन ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु यह कदम उठाते हुए मध्याह्न भोजन योजना प्रारम्भ की। 1984 में दो राज्यों गुजरात व केरल में भी इस योजना को प्रारम्भ किया गया।[1] 1984 से 1985 तक प्राथमिक स्कूलों में केन्द्रीय सहायता से मिड डे मील की योजना पर भी विचार किया गया। केन्द्र सरकार के स्तर पर तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने एवं शिक्षा के स्तर को उच्चीकृत करने हेतु मध्याह्न भोजन योजना का शुभारम्भ 15 अगस्त, 1995 को ''नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रीशनल सपोर्ट टु प्राइमरी एजूकेशन 1997–1998 (एन0पी0–एन0एस0पी0ई0)''के अन्तर्गत किया गया।[2]

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और सर्वसुलभीकरण के लिये सरकार द्वारा 1995 में स्कूलों में मध्याह्न भोजन (एम0डी0एम0) देने की योजना को प्रारम्भ किया गया और शिक्षा के लिए एक उचित वातावरण के निर्माण के लिये सबके लिये शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान 2000 लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिये एस.एस.ए. (सर्व शिक्षा अभियान) और मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.) में समन्वय बिठाया गया ताकि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए न केवल सर्वशिक्षा अभियान वरन् मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में कार्य कर सके। 2010 में राइट टू एजूकेशन कानून को मान्यता मिली, ताकि सभी को बिना किसी भेदभाव के कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके व शिक्षा का सार्वभौमिकरण उचित व सशक्त रूप से लागू हो सके। जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा में बेटीओं को विद्यालय भेजने की प्ररेणा मिली। इससे बेटीओ की ड्रॉप आउट की दर भी घटी और नामांकन को प्रोत्साहन भी मिला। एम.डी.एम. के कारण बेटीओं की उपस्थिति नियमित हुयी और बच्चों का विद्यालय में टिके रहने पर बल मिला। देश के 2408 विकासखण्डों में यह केन्द्रीय पोषित योजना लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य कि कैसे कोई भी बालक–बालिका विशेष रूप से बालिकाऐं शिक्षा से वंचित न रहे। 18 नवम्बर 2001 को एम0डी0एम0 के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देशित किया कि बच्चों को कच्चे राशन के बजाय पका हुआ भोजन दिया जाय।[3] वस्तुतः भारत की मिड डे मील योजना विश्व की सर्वाधिक बड़ी योजना है व लगभग 12 करोड़ बच्चों व 12.65 लाख स्कूलों व एजूकेशन गारंटी स्कीम (ई0जी0एस0) में लागू है।[4]

भारत में जनांनकीय आँकड़ों के अनुसार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या का वितरण असामान्य है। देश में आबादी की तुलना में साक्षरता काफी बढ़ी है। 20 वीं शताब्दी में भारत में निरक्षक लोगों की संख्या अधिक थी, लेकिन सभी प्रयासों के पश्चात् 21 वीं सदी में साक्षरता का स्तर 74.04 प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है, जो कि पुरूषों के सापेक्ष कम है।[5] संविधान ने समानता के मूल अधिकार का ध्यान रखते हुए स्त्री शिक्षा तथा बालकों की शिक्षा पर विशेष रूप से धारा 15 (3) में इस प्रकार विचार प्रस्तुत किया है – ''इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी।''[6]

भारत की अधिक आबादी गाँव में निवास करती है। लेकिन प्रवास के कारण शहरों की जनसंख्या अधिक हो रही है। प्रकृति ने महिला और पुरूषों दोनों को समान माना है। अर्थात् दोनों की संख्या समान होनी चाहिये, लेकिन यदि हम 1901 से और अब तक भारत की जनसंख्या पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सदैव पुरूषों से कम रही है। यही स्थिति लिंगानुपात की भी है। जहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है अर्थात् 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 943 है।[7]

भारत में लिंगानुपात (2011)[8]

तालिका संख्या (1.1)

क्रम. संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लिंगानुपात (2011)
1.	केरल	1084
2.	पुदूचेरी	1037
3.	तमिलनाडु	996
4.	आन्ध्रप्रदेश	993
5.	छत्तीसगढ़	991
6.	मेघालय	989
7.	मणिपुर	985
8.	तेलांगना	985
9.	उड़ीसा	979
10.	मिजोरम	976
11.	गोवा	973
12.	कर्नाटक	973
13.	हिमाचल प्रदेश	972
14.	उत्तराखण्ड	963
15.	त्रिपुरा	960
16.	असम	958
17.	पश्चिम बंगाल	950
18.	झारखण्ड	948
19.	लक्षद्वीप	946
20.	अरूणाचल प्रदेश	938
21.	नागालैण्ड	931
22.	मध्यप्रदेश	931
23.	महाराष्ट्र	929
24.	राजस्थान	928
25.	गुजरात	919
26.	बिहार	918
27.	उत्तरप्रदेश	912
28.	पंजाब	895
29.	सिक्किम	890
30.	जम्मू और कश्मीर	889
31.	हरियाणा	879
32.	अण्डमान और नीकोबार	876

	समूह	
33.	दिल्ली	868
34.	चण्डीगढ़	818
35.	दादरा और नगर हवेली	774
36.	दमन और द्वीव	618
	कुल औसत (भारत)	943

Sourse-https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-indian-states-on-the-basis-of-sex-ratio-1521445111-1

उपरोक्त तालिका संख्या 1.1 से यह प्रदर्शित होता है कि पूरे राष्ट्र में केरल और पांडिचेरी को छोड़कर लिंगानुपात असंतुलित है। अर्थात् पुरूषों की संख्या अधिक है। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, जैसे राज्यों में लिंगानुपात अपेक्षाकृत बहुत कम है। उल्लेखनीय है कि जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है, तो लिगांनुपात भी संतुलित होता है, जैसे केरल राज्य। दूसरी ओर भारत के कई शिक्षित राज्यों और जनपदों में लिगांनुपात की स्थिति बड़ी सोचनीय है। ऐसा नही कि निरक्षर लोग ही लिगांनुपात को असंतुलित करते है, जबकि शिक्षित लोगों का भी इसमें प्रतिभाग है। व्यक्ति का जितना शैक्षिक स्तर बढ़ा उसने लिगांनुपात असंतुलित करने में सहयोग किया अर्थात् कन्या भ्रूण हत्या को जन्म मिला।

उत्तराखण्ड में लिंगानुपात (2011)[9]

तालिका संख्या (1.2)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	लिंगानुपात (2011)
1.	रूद्रप्रयाग	1114
2.	पौड़ी गढ़वाल	1103
3.	बागेश्वर	1090
4.	टिहरी गढ़वाल	1077
5.	अल्मोड़ा	1139
6.	पिथौड़ागढ़	1020
7.	चमोली	1019
8.	चम्पावत	980
9.	उत्तराकाशी	958
10.	नैनीताल	934
11.	ऊधमसिंह नगर	920
12.	देहरादून	902
13.	हरिद्वार	880
	उत्तराखण्ड	963

Source -
https://www.census2011.co.in/census/state/districtlist/uttarakhand.html.

उपरोक्त तालिका संख्या 1.2 से यह प्रदर्शित होता है कि उत्तराखण्ड में लिंगानुपात 06 राज्यों में कम है, फिर भी राष्ट्र के सापेक्ष उचित है। क्योंकि 07 राज्यों में लिंगानुपात संतुलित है।

उत्तराखण्ड शिशु लिंगानुपात (2011)[10]

तालिका संख्या (1.3)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	शिशु लिंगानुपात (2011)
1.	अल्मोड़ा	922
2.	उत्तरकाशी	916
3.	रूद्रप्रयाग	905
4.	पौड़ी गढ़वाल	904
5.	बागेश्वर	904
6.	नैनीताल	902
7.	पिथौड़ागढ़	816
8.	टिहरी गढ़वाल	846
9.	चम्पावत	873
10.	हरिद्वार	877
11.	चमोली	889
12.	देहरादून	889
13.	ऊधमसिंहनगर	899
	उत्तराखण्ड	**890**

Source-https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/uttarakhand-child-sex-ratio-as-per-census-2011-1392449279-1

उपरोक्त तालिका संख्या 1.3 से यह प्रदर्शित होता है कि उत्तराखण्ड में शिशु लिंगानुपात कम है अर्थात् 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कम है। जो कि असंतुलित है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का स्तर ज्ञात करना।
2. जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक शिक्षा विशेषकर छात्राओं की प्रगति पर प्रभाव का स्तर ज्ञात करना।

परिकल्पना

1. जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोंण में अपेक्षित प्रगति हुई है।
2. जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी में मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक शिक्षा विशेषकर छात्राओं के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।

शोध प्रविधि

हरिद्वार एवं पौड़ी दो जनपदों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति (Purposive Sampling Method) से किया गया। हरिद्वार जनपद को चयनित करने का कारण मैदानी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन, प्रगति ज्ञात करना था एवं पौड़ी जनपद को चयनित करने का कारण पर्वतीय क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन की स्थिति जानने का प्रयास ज्ञात करना था। जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी के कुल 10–10 विद्यालयों (प्रत्येक विद्यालय से 03 छात्राऐं) से 30 छात्राएँ (कुल 120) एवं जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी से (प्रत्येक सम्बन्धित विद्यालय क्षेत्र से 03 अभिभावक) 30–30 अभिभावकों (कुल 120) का चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन में कुल 240 न्यादर्श का चयन किया गया।

न्यादर्श का चयन

प्रस्तुत अध्ययन के लिये कक्षा 01 से 08 तक की 120 छात्राओं तथा सम्बन्धित विद्यालय क्षेत्र के 120 अभिभावकों का यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया। प्रत्येक चयनित जनपदों से कुल 240 उत्तरदाताओं

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

का चयन व्यवस्थित यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया।

उपकरण

अध्ययन क्षेत्र से आँकड़ें एवं सूचनायें एकत्रित करने के लिये स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

उपकरण का प्रशासन

अध्ययन क्षेत्र से आँकड़ों का संग्रह करने के लिये अनुसंधानकत्री ने स्वयं जाकर उत्तरदाता छात्राओं और अभिभावकों से सूचना एकत्रित की।

आँकड़ों का विश्लेषण

परिकल्पना एक

जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोंण में अपेक्षित प्रगति हुई है।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों की राय (ग्राफ संख्या 1.1)

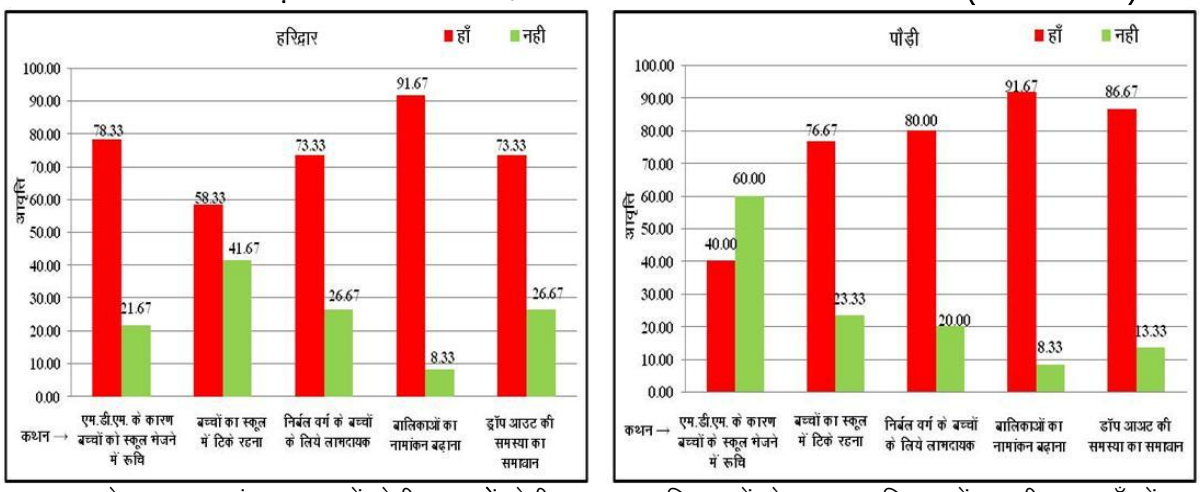

उपरोक्त ग्राफ संख्या 1.1 में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों की राय को पाँच कथनों में प्रदर्शित किया गया है।

कथन एक

एम.डी.एम. के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में रूचि के सम्बन्ध में जनपद हरिद्वार के अभिभावकों ने 78.33 प्रतिशत हाँ तथा पौड़ी जनपद के अभिभावकों ने 60.00 प्रतिशत नहीं के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। जनपद हरिद्वार में इस कथन के उत्तर को हाँ में देने का कारण यह था कि क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति आकर्षण व बच्चों के लिए इसकी आवश्यकता व उपयोगिता को अनुभव किया गया था जबकि जनपद पौड़ी के अभिभावकों के विचार में बच्चों को स्कूल जाने के लिये मध्याह्न भोजन की मुख्य आवश्यकता नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से ही स्कूल जाते हैं।

कथन दो

बच्चों का स्कूल में टिके रहने के सम्बन्ध में हरिद्वार जनपद के अभिभावकों ने 58.33 प्रतिशत जबकि पौड़ी जनपद के अभिभावकों ने 76.67 प्रतिशत में अपनी राय हाँ में व्यक्त की। कथन के समर्थन में अभिभावकों ने सकारात्मक राय व्यक्त की क्योंकि मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में टिके रहने के लिये प्रेरित करती है।

कथन तीन

एम.डी.एम. का निर्बल वर्ग के बच्चों के लिये लाभदायक होने के सम्बन्ध में जनपद हरिद्वार के अभिभावकों ने 70.33 प्रतिशत जबकि पौड़ी जनपद के अभिभावकों ने 80.00 प्रतिशत में अपनी राय हाँ में व्यक्त की। इस कथन के सम्बन्ध में अभिभावकों द्वारा सकारात्मक राय देने का मुख्य कारण यह था कि मध्याह्न भोजन से निर्बल वर्ग के बच्चों को दिन में भोजन प्राप्त होता है जो कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है।

कथन चार

एम.डी.एम. के कारण विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ने के सम्बन्ध में दोनों जनपदों हरिद्वार एवं पौड़ी के अभिभावकों ने 91.67 प्रतिशत में अपनी राय हाँ में व्यक्त की। इस कथन में सकारात्मक राय व्यक्त करने का कारण स्कूल में आहार और पोषण देने से बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में एम.डी.एम. की अहम् भूमिका रही है।

कथन पाँच

ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान के सम्बन्ध में हरिद्वार जनपद के अभिभावकों ने 73.33 प्रतिशत तथा पौड़ी जनपद के अभिभावकों ने 86.67 प्रतिशत ने अपनी राय हाँ में व्यक्त की। एम.डी.एम. के कारण प्राथमिक शिक्षा में सर्वत्र ड्रॉप आउट की दर घटी है।

अगली परिकल्पना कि अध्ययन क्षेत्र हरिद्वार और पौड़ी जनपद के विद्यालयों की छात्राओं के दृष्टिकोण में मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार के संदर्भ में सार्थक अंतर है, के सन्दर्भ में 2-tailed t-test परीक्षण का प्रयोग किया गया। जिससे सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका 1.4 में वर्णित है।

तालिका सख्या (1.4)

क्रम सं0	आयामों का विवरण	मध्यमान (हरिद्वार)	मध्यमान (पौड़ी)	कुल	मानक विचलन	t का मान	P value
1.	गुणवत्ता के सम्बन्ध में छात्राओं की राय	4.90	4.84	60	.685	.753	.454
2.	प्रबन्धन के सन्बन्ध में छात्राओं की राय	7.16	13.86	60	1.27	10.82	.000
3.	स्वच्छता के सम्बन्ध में छात्राओं की राय	4.94	4.48	60	.724	4.82	.000
4.	मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में छात्राओं की राय	5.74	6.30	60	.621	7.07	.000
5.	जातीय भेदभाव के सम्बन्ध में छात्राओं की राय	4.70	4.00	60	.929	5.69	.000

DF=59

भोजन की गुणवत्ता के सन्दर्भ में अध्ययन करने पर यह पाया गया कि हरिद्वार जनपद का मध्यमान 4.90 व पौड़ी जनपद का मध्यमान 4.84 तथा t का मान .753 पाया गया। परीक्षण में पायी गयी P¯value (Sig. = .454) 0.05 के मान से अधिक पायी गयी जो कि नगण्य है। जिससे स्पष्ट होता है कि हरिद्वार एवं पौड़ी जनपद की छात्राओं की राय गुणवत्ता के सन्दर्भ में समान होने का मुख्य कारण भोजन की गुणवत्ता तथा आहार वितरण में किसी भेदभाव का न होना था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जनपद हरिद्वार और पौड़ी के विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में गुणवत्ता के विषय में सार्थक अंतर नहीं है।

परन्तु जनपद हरिद्वार और पौड़ी के विद्यालयों की छात्राओं के दृष्टिकोण में 'मध्याह्न भोजन योजना में प्रबन्धन, स्वच्छता, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित समस्याओं तथा जातीय भेदभाव के सम्बन्ध में अध्ययन करने पर परीक्षण में हरिद्वार जनपद का मध्यमान प्रबन्धन के संबन्ध में 7.16, स्वच्छता के संबन्ध में 4.94, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में 5.74 तथा जातीय भेदभाव के सम्बन्ध में 4.70 पाया गया। तथा पौड़ी जनपद में प्रबन्धन के संबन्ध में 13.86, स्वच्छता के संबन्ध में 4. 48, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में 6.30 तथा जातीय भेदभाव के सम्बन्ध में 4.00 पाया गया। परीक्षण में पायी गयी P¯value 0.05 के मान से कम पायी गयी। जिस कारण यह सार्थक मान है (प्रबन्धन, P value का मान = .000; स्वच्छता, P value का मान = .000; मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित समस्याऐं, P value का मान = .000 तथा जातीय भेदभाव, P value का मान = .000)। इसलिए ये परिकल्पना स्वीकार की गई कि, जनपद हरिद्वार और पौड़ी के विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में 'मध्याह्न भोजन योजना में प्रबन्धन, स्वच्छता, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित समस्याओं तथा जातीय भेदभाव के सम्बन्ध में सार्थक अंतर है। जनपद हरिद्वार और पौड़ी के विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में जातीय भेदभाव हरिद्वार की तुलना में पर्वतीय जनपद पौड़ी में अधिक पाया गया। जबकि स्वच्छता, मध्याह्न भोजन में समस्या एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में पौड़ी जनपद में छात्राएँ संतुष्ट पाये गये। इसका कारण हरिद्वार जनपद में पौड़ी जनपद की तुलना में अधिक छात्राओं की संख्या, भोजन बनाने में लापरवाही एवं स्वच्छता का ध्यान न रखना है।

मध्याह्न भोजन योजना में प्रबन्धन, स्वच्छता, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित समस्याओं तथा जातीय भेदभाव के सम्बन्ध में सार्थक अंतर है। जनपद हरिद्वार और पौड़ी के विद्यालयों के छात्राओं के दृष्टिकोण में जातीय भेदभाव हरिद्वार की तुलना में पर्वतीय जनपद पौड़ी में अधिक पाया गया। जबकि स्वच्छता, मध्याह्न भोजन में समस्या एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में पौड़ी जनपद में छात्राएँ संतुष्ट पायी गयी। इसका कारण हरिद्वार जनपद में पौड़ी जनपद की तुलना में अधिक छात्राओं की संख्या, भोजन बनाने में लापरवाही एवं स्वच्छता का ध्यान न रखना है।

मध्याह्न भोजन योजना प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार, आकर्षण के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित वृद्धि हुई है, क्योंकि एम.डी.एम. का लक्ष्य नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति नियमित करना, निर्बल वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित करना, पोषण का ध्यान रखना, ड्रॉप आउट कम करना और बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित करना था। इस महत्वपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप देश में बेटियों को स्कूल भेजने में विशेष सहयोग मिला तथा एम.डी.एम. के आकर्षण के कारण ड्रॉप आउट की दर भी कम हुई अर्थात् यह निर्विवाद तरीके से कहा जा सकता है, कि एम.डी.एम. ने बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ की सूक्ति को सार्थक बनाया। बेटियों का हक जन्म से पढ़ाई तक लड़कों के समान हैं, इसलिये सबके लिये शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार से बेटियाँ लाभांवित हुई है।

प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं

1. एम.डी.एम. के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में जनपद हरिद्वार और पौड़ी के अभिभावकों ने समान रूचि दिखाई।
2. बच्चों का स्कूल में टिके रहने के प्रति सकारात्मक राय प्रकट हुई।
3. निर्बल वर्ग के बच्चों के लिये एम.डी.एम. योजना को दोनों जनपदों के अभिभावकों ने लाभदायक बताया।
4. बालिकाओं का नामांकन बढ़ने में मध्याह्न भोजन योजना की भूमिका 91.67 प्रतिशत उपयोगी बताया।

5. ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान के विषय में हरिद्वार एवं पौड़ी जनपदों के अभिभावकों ने समान राय व्यक्त की है।
6. मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता के सम्बन्ध में बालिकाओं की राय दोनों जनपदों में समान थी। अर्थात् सकारात्मक राय थी।
7. एम.डी.एम. के प्रबन्धन के सम्बन्ध में बालिकाओं की राय हरिद्वार की तुलना में पौड़ी जनपद में अधिक पाई गई।
8. एम.डी.एम. में स्वच्छता के सम्बन्ध में दोनों जनपदों की बालिकाओं की राय समान थी।
9. मध्याह्न भोजन योजना से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में हरिद्वार और पौड़ी जनपद की बालिकाओं की राय समान थी।
10. जातीय भेदभाव के सम्बन्ध में बालिकाओं का मत नकारात्मक था।

मध्याह्न भोजन योजना के प्रति जनपद हरिद्वार और पौड़ी के अभिभावकों एवं बालिकाओं का दृष्टिकोण और बालिका शिक्षा पर प्रभाव सकारात्मक दिखाई दिया। इससे प्रतीत होता है, कि देश की महत्वपूर्ण योजना मध्याह्न भोजन योजना की भूमिका प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में सार्थक रही है। दूसरी ओर बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान को बल मिला। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है, कि निः सन्देह मध्याह्न भोजन योजना और बालिका शिक्षा में सहसम्बन्ध है।

भविष्य के लिए विषय से सम्बन्धित सुझाव

1. शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये सामुदायिक, सहभागिता की आवश्यकता है।
2. प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिये एस.एम.सी. के सदस्यों की सक्रिय भूमिका की जरूरत है।
3. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान को सशक्त बनाने के लिये एम.डी.एम. योजना के उचित प्रबन्धन की आवश्यकता है, जिससे बालिका ड्रॉप आउट को दूर किया जा सके।
4. विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के फलस्वरूप विद्यालय में टिके रहने के लिये बालिकाओं के लिये बुनियादी सुविधाओं का प्रबन्ध होना जरूरी है।
5. बुनियादी शिक्षा की प्रगति, गुणवत्ता, बच्चों का पोषण, बालिका शिक्षा, नामांकन बढ़ाना, स्कूल में टिके रहना, सशक्तिकरण के लिये मध्याह्न भोजन योजना का प्रभावशाली ढंग से संचालित करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अच्चुतानन्द साहू एण्ड बीमल चरण स्वेन (2015), इम्प्रीलिमेंटशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इन प्राइमरी ह्यूमन साइन्स एण्ड लेंग्वेज़, एन् इण्टरनेशनल पीर रिव्यूड एण्ड रेफर्ड स्कॉलरी रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमेनटी सांइस एण्ड इंगलिश लैग्वेंज़, वोल्यूम II/IX, पृष्ठ सं0 2172.

मिड डे मील नियम, (2015), ''समकालीन समस्याएँ एवं विश्लेषण'', नवम्बर 2015, पृष्ठ संख्या 53.

मध्याह्न भोजन योजना, उत्तराखण्ड, दिशा–निर्देश, (2012), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून, प्रथम संस्करण– पृष्ठ सं0 09

यूनेस्को : 47 मिलियन यूथ इन इण्डिया ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ऑफ 10th Standrard 2016, फास्ट पोस्ट, अगस्त 17,

Literacy in India, https://www.census2011.co.in/literacy.php

सिंह, डॉ0 डी.पी., (2003), विद्यालय प्रबन्ध एवं शिक्षा की समस्याएँ, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–147.

Sex Ratio in India, https://www.census2011.co.in/sexratio.php

Hemant Singh, Mar 19, 2018 00:28 IST *List of Indian states on the basis of sex ratio* https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-indian-states-on-the-basis-of-sex-ratio-1521445111-1

Districts of Uttarakhand, https://www.census2011.co.in/census/state/districtlist/uttarakhand.html.

Jagran Josh, Feb 15, 2014 12:57 IST, *Uttarakhand: Child Sex Ratio as per Census 2011,* https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/uttarakhand-child-sex-ratio-as-per-census-2011-1392449279-1